राष्ट्र सेविका समिति ने नवीनोदय पथ संचलन निकाला

पाली, (नि.सं.)। राष्ट्र सेविका समिति की अखिल भारतीय प्रमुख कार्यवाहिका सीता गायत्री अन्नदानम् का संगठनात्मक प्रवास जोधपुर प्रान्त में चल रहा है। इस प्रवास के अन्तर्गत उनका पाली विभाग में प्रवास प्रवास पर राष्ट्रीय सेविका समिति ने पाली विभाग का नवीनोदय पथ संचलन निकाला।

पाली विभाग की कार्यवाहिका अंजना सर्राफ ने बताया कि प्रमुख कार्यवाहिका के सम्मान में पाली में सेविकाओं ने भव्य पथ संचलन निकाला। 421 सेविकाएं कदम से कदम मिलाकर चली। इस संचलन को लेकर सेविकाओं में बहुत उत्साह का भाव दिखा। शीतलहर के बावजूद मातृ शक्ति व सेविका बहनें पिछले एक माह से संचलन की तैयारियों कर रही थी। उन्होंने बताया कि इस संचलन के लिए सेविकाओं का कार्य 1 माह से चल रहा था। इस निमित्त संचलन मार्ग , घोष की पूर्व तैयारी की गई थी। संचलन में पाली की पहली महिला चार्टर्ड एकाउंटेंट शानू पारख अध्यक्षा के रूप में उपस्थित थीं। श्रीमती संतोष पालरिया, पुनायता उच्च माध्यमिक विद्यालय की उप प्रिंसिपल अतिथि के रूप में उपस्थित रही।

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए शानू पारख ने कहा कि महिलाएं राष्ट्र की सेवा के लिए योग्य बन रही है । इसके साथ ही उन्हें आत्मनिर्भर भी बनना है। आत्मनिर्भर बनने के लिए उन्हें केवल पढ़ाई पर निर्भर नहीं रहकर यदि पढ़ाई नहीं कर पाए तो कंप्यूटर, ब्यूटी पार्लर ,सिलाई, बुनाई ऐसे कई कार्य होते है जो करके वह आर्थिक रूप से मजबूत बन सकती है।

राष्ट्रीय सेविका समिति ने पाली विभाग का नवीनोदय पथ संचलन निकाला। फोटो-राष्ट्रदूत

मुख्य वक्ता अखिल भारतीय प्रमुख कार्यवाहिका अन्नदानम सीता गायत्री दीदी ने सभी सेविका बहनों को संबोधित करते हुए कहा की पथ संचलन भी हमें जीवन की एक सीख देता है। हम निश्चित मार्ग पर चलते हैं। चलते समय हम अपने आप का पूरा संतुलन रखते हुए किसी भी प्रकार के प्रलोभन से भी बचते हैं ।इसका भी एक अपना आनंद होता है और समाज को भी अपनी शक्ति का दर्शन होता है । उन्होंने कहा कि पहले जब युद्ध होते थे तब युद्ध के बाद सैनिकों का मार्च पास्ट नगर में से निकलता था जिससे जनता को बहुत गर्व महसूस होता था और उनका विश्वास भी बढ़ता था कि हम सुरक्षित हैं।ऐसे ही यह अपने मातृ शक्ति का मार्च पास्ट है जिसे हम पथ संचलन कहते हैं। वर्तमान में भारत के 1020 जिलों में से 850 जिलों तक समिति कार्य फैला हुआ है।

उन्होंने कहा कि सीता, सावित्री दमयंती यह पुराण काल में ही नहीं अब भी कई रूपों में अपने मध्य है। भारत की महिलाएं इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है । इन्होंने कश्मीर का प्रसंग सुनाते हुए कहा की गोलीबारी के बीच में भी वहां की महिलाएं मंदिर में भजन करती है। यह उनका ईश्वर पर और अपने आप पर विश्वास है तभी वह विपरीत परिस्थितियों में भी नहीं घबराती है। सीता जी ने कहा कि पूरा विश्वास है के भारत पुन:विश्व गुरु के पद पर बैठेगा।

नवीनोदय पथ संचलन बांगड़ महाविद्यालय खेल मैदान से प्रारंभ होकर शिवाजी सर्कल, लोढा स्कूल, सुरजपोल, अहिंसा सर्कल, डिस्ट्रीक्लब चौराया होते हुए समापन बांगड़ स्कुल पर हुआ। पाली की धरा पर निकले इस नवीनोदय पथ संचलन में 421 महिलाओं और बहनों ने पथ संचलन में भाग लिया। सबने जोश से संचालन निकाला। 10 वर्ष से लेकर 60 वर्ष की महिलाओं ने भाग लिया। स्वागत द्वार बनाकर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया।

अंतरिम जमानत के बाद आसाराम आश्रम पहुंचे

जोधपुर, (कासं)। राजस्थान हाईकोर्ट से रेप के मामले में अंतरिम जमानत मिलने के बाद आसाराम पाल गांव स्थित अपने आश्रम पहुंचे। बुधवार सुबह वे अपने आश्रम में टहलते हुए नजर आये।

इस दौरान बड़ी संख्या में उसके अनुयायी भी वहां पहुंच गये। इधर साधकों से अपील की गई है कि आसाराम बापू इलाज के लिए किसी दूसरे स्थान पर जा रहा है, ऐसे में जोधपुर आश्रम में न आएं।

जानकारी के अनुसार आसाराम के ऊपर गांधीनगर और जोधपुर में रेप के मामले दर्ज हैं। दोनों ही मामलों में उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई जा चुकी है। गुजरात से जुड़े केस में उसे गत सात जनवरी को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली थी, इसके बाद 14 जनवरी को जोधपुर मामले में भी जमानत मिल गई। वे 31 मार्च तक के लिए बाहर आये हैं। आसाराम को स्वास्थ्य कारणों के चलते अंतरिम जमानत के रूप में आंशिक राहत मिली है।

आसाराम की तरफ से वकील आरएस सलूजा, निशांत बोडा, यशपाल सिंह राजपुरोहित और भारत सैनी ने पैरवी की थी। इसमें 7 जनवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट से गुजरात केस (रेप) में मिली जमानत का हवाला दिया गया था। इसमें आसाराम के इलाज की गुहार लगाई गई थी। उम्र और स्वास्थ्य को देखते हुए कोर्ट ने मंगलवार को आसाराम को 31 मार्च तक अंतरिम जमानत दी है।

इस दौरान देश के किसी भी आश्रम में रहने की अनुमति होगी। हॉस्पिटल या आश्रम में इलाज भी करवा सकेंगे।

शिवराज सिंह जोधपुर का जीवन कैलेंडर में दर्शाया

पूर्व महाराजा गज सिंह ने उम्मेद भवन पैलेस में युवराज शिवराज सिंह के 50 वें जन्मवर्ष पर आधारित कैलेंडर का विमोचन किया।

जोधपुर, (कासं)। पूर्व महाराजा गज सिंह ने उम्मेद भवन पैलेस में युवराज शिवराज सिंह के 50 वें जन्मवर्ष पर आधारित कैलेंडर का विमोचन किया। इस अवसर पर पूर्व महारानी हेमलता राज्ये, बाईजीलाल शिवरंजनी राज्ये, भंवर बाईजीलाल वारा राज्ये व राज भंवर सिराजदेव उपस्थित थे।

मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट के महाप्रबंधक जगत सिंह राठौड ने बताया यह कैलेंडर मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट की तरफ से तैयार किया गया है।

उन्होंने बताया कि यह कैलेंडर युवराज शिवराज सिंह के 50 वें जन्मवर्ष पर आयोजित कार्यऋमों के तहत प्रकाशित किया गया है।

पूर्व महाराजा गज सिंह के पुत्र युवराज शिवराज सिंह का जन्म 30 सितंबर 1975 को हुआ था। उनकी शिक्षा अजमेर के मेयो कॉलेज फिर ईटन कॉलेज में , उसके बाद ऑक्सफोर्ड ब्रूक्स यूनिवर्सिटी में हुई। वहा उन्होंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में डिग्री प्राप्त की। उन्होंने जिनेवा व लंदन के श्रोडर्स बैंक और हांगकांग में जार्डिन के साथ काम किया। उसके बाद पैलेस में होटल प्रबंधन व्यवसाय का काम देखने लगे।

युवराज शिवराज सिंह पोलो के बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं, उनकी गिनती अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पोलो खिलाडी के रूप में रही है। युवराज शिवराज सिंह का विवाह 18 नवम्बर 2010 को उत्तरांचल के असकोट परिवार की गायत्री कुमारी से हुआ। इनके एक पुत्री भंवर बाईजीलाल वारा राज्ये व एक पुत्र राज भंवर सिराज देव है। इस कैलेंडर में युवराज शिवराज सिंह के बचपन से लेकर उनकी विभिन्न गतिविधियों पर कैलेंडर में जानकारी व फोटोग्राफ्स प्रकाशित किए गए हैं।

उन्होंने बताया कि युवराज सिंह के बचपन, विदेश में उनकी पढाई, पोलो खिलाडी के रूप में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बनाई गई पहचान और सामाजिक सरोकार के कार्य व उनकी विभिन्न भूमिकाओं पर इस कैलेंडर में जानकारी समाहित की गई है।

उन्होंने बताया कि यह कैलेंडर संग्रणीय है। पूर्व महाराजा गज सिंह ने कैलेंडर के विमोचन के बाद उसकी प्रति भूटान की राजमाता को भेंट की।

रेडक्रॉस सोसाइटी ने घुमंतू छात्रों का छात्रावास निखारा

पाली में भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी ने मां आशापुरा घुमंतू जाति छात्रावास के एक कमरे का सौंदर्यकरण का कार्य करवाया। फोटो-राष्ट्रदूत

पाली, (नि.सं.)। मां आशापुरा घुमंतू जाति छात्रावास में रहकर पढ़ने वाले घुमंतु परिवारों के छात्रों को छात्रावास में अच्छी व्यवस्था मिले जिसके लिए आज क्षेत्रीय घुमंतू कार्य प्रमुख प्रचारक माननीय महेंद्र सिंह की अध्यक्षता तथा भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी के सभापति जगदीश गोयल की विशेष उपस्थिति में एक कमरे के सौंदर्यकरण का कार्य करवा कर समिति को भव्य कार्यक्रम करके समर्पित किया गया।

कमरे के सौंदर्य करण से अभीभूत होकर भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के निवेदन पर भरतजी देसरला तथा प्रमोद गुप्ता ने कार्यक्रम में ही बाकी रहे दो कमरों का सौंदर्यकरण करने की स्वीकृति प्रदान की। शीघ्र ही रेडक्रॉस परिवार दोनों कमरों का सौंदर्यकरण करके समिति को सुपुर्द करेगा। इस कार्यक्रम में भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी के सचिव जिनेंद्र जैन, उपाध्यक्ष तथा जिनकी देखरेख में सौंदर्यकरण किया गया मेघराज बम्ब, कोषाध्यक्ष अमरचंद शर्मा, धर्मेंद्र कोठारी, गौतम खींवसरा, बाबूलाल नागला, भरत देशरला घुमंतू छात्रावास समिति के जिला अध्यक्ष बोहरा रामजी, उपाध्यक्ष अरविंद गुप्ता, सदस्य राहुल मेहता, सत्यनारायण गोयल सरस्वती विद्या मंदिर के प्रधानाध्यापक के. के. राजपुरोहित, बसंती गुप्ता, छात्रावास के प्रभारी लालाराम, रेडक्रॉस के कार्यालय प्रमुख दिनेश उपस्थित रहे सभी उपस्थित सदस्यों का समिति के सदस्यों ने दुपट्टा पहना कर स्वागत किया, सभी उपस्थित सदस्यों ने रेडक्रॉस द्वारा किए गए सौंदर्य करण की बहुत प्रशंसा की। घुमंतू जाति के छात्रों द्वारा हस्त निर्मित वस्तुओं को वहां देख कर, तथा रेड क्रॉस द्वारा जो सेवा के कार्य लगातार किए जा रहे हैं, उनके बारे में उपाध्यक्ष मेघराज बम्ब ने अपने उद्बोधन में जानकारी दी। छात्रावास समिति के सचिव संदीप मेहता ने ऐसे पुनीत कार्य के लिए सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया।

गांजा लाने का आरोपी गिरफ्तार

जोधपुर, (का.सं.)। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी), जोधपुर जोन और पुलिस कमिश्नरेट, जोधपुर ने ऑपरेशन शंकर के तहत एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है।

इस संयुक्त अभियान के माध्यम से एक जटिल अंतरराज्यीय ड्रग तस्करी नेटवर्क को ध्वस्त किया गया। यह सफलता समाज, विशेषकर युवाओं को नशे के खतरे से बचाने और मादक पदार्थों की तस्करी पर लगाम लगाने के प्रति एनसीबी की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। गिरफ्तारी और जांच इस ऑपरेशन के तहत अब तक सात (7) अंतरराज्यीय मादक पदार्थ अपराधियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत एनसीबी टीम ने घनश्याम सोनी, आईआरएस, क्षेत्रीय निदेशक, एनसीबी राजस्थान के समठा नेतृत्व और जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के सहयोग से इस तस्करी नेटवर्क के मुख्य आरोपी सीताराम मेघवाल को गिरफ्तार किया।

जांच में खुलासा हुआ कि सीताराम मेघवाल मलकानगिरी (ओडिशा) से राजस्थान तक गांजा तस्करी के लिए वाहन चलाता था। उसने तस्करी के लिए एक सुव्यवस्थित मार्ग अपनाया। जोधपुर कोटा भोपाल नागपुर अमरकोट (छत्तीसगढ़) मलकानगिरी (ओडिशा)।

वह खेप को राकेश साई और मेहराम बिश्नोई (दोनों तस्कर) से प्राप्त करता और इसे बंटी गहलोत सहित अन्य सहयोगियों को सौंपता। गांजे को छुपाने के लिए उसने वाहन में विशेष रूप से बनाए गए गुप्त कैविटी का उपयोग किया।

विचाराधीन एवं दोषसिद्ध बंदियों के संबंध में चर्चा की

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार विचाराधीन बंदियों के संबंध में अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी पाली की बैठक हुई। फोटो-राष्ट्रदूत

पाली,(नि.सं.)। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार विचाराधीन बंदियों के संबंध में अण्डर ट्रायल रिव्यू कमेटी पाली की बैठक का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला एवं सेशन न्यायाधीश) पाली अध्यक्ष राजेंद्र कुमार की अध्यक्षता में हुई।

उन्होंने बताया कि अण्डर ट्रायल रिव्यू कमेटी के समक्ष पाली जिले के न्यायालयों में लंबित प्रकरणों में निरूद्ध विचाराधीन एवं दोषसिद्ध बन्दियों के संबंध में विचार विमर्श किया गया। जिसके तहत् दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 436ए के तहत जमानत लाभ प्राप्त करने, शमनीय प्रकरणों में निरूद्ध बंदीगण, धारा 437(6) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत जमानत के हकदार हो, महिला बंदियों की स्थिति एवं ऐसे बन्दी जो बीमार या कमजोर हो अथवा मानसिक रूप से कमजोर हो, के संबंध में अण्डर ट्रायल रिव्यू कमेटी द्वारा संबंधित विचारण न्यायालय को उचित कार्यवाही किये जाने हेतु अनुशंषा प्रेषित किये जाने की सहमति बनी।

बैठक में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (अपर जिला न्यायाधीश) पाली सचिव विक्रम सिंह भाटी, अति. जिला कलेक्टर डॉ. बजरंग सिंह, अति. जिला पुलिस अधीक्षक विपिन शर्मा, जिला कारागृह जोराराम कारापाल, चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल मानसिंह आशिया उपस्थित रहे।

उत्कर्ष के नए भवन का उद्घाटन

जोधपुर, (कासं)। उत्कर्ष क्लासेस द्वारा राजधानी के गोपालपुरा बायपास रोड पर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु प्रयासरत् विद्यार्थियों के लिए समर्पित नवीन भवन का भव्य उद्घाटन बुधवार सायं 5.30 बजे किया गया।

उत्कर्ष क्लासेस के संस्थापक एवं निदेशक डॉ. निर्मल गहलोत, सह-संस्थापक तरुण गहलोत, सीओओ सुभाष भौमिक, सीबीओ अर्पित पारीक, सीटीओ सौरभ जैन, एकेडमिक हेड अक्षय गौड, सिटी हेड अनुज शर्मा, मार्केटिंग हेड कुलदीप सिंह, मानव संसाधन विभाग से हितेश व्यास, एकाउंट हेड विजेंद्र शर्मा सहित आमंत्रित विद्यार्थियों एवं समस्त गुरुजनों की उपस्थिति में उत्कर्ष के आठवें नए भवन 'उत्कर्ष कॉम्प्लेक्स' का शुभारंभ किया गया। आरएएस, शिक्षक, पटवार, पुलिस उपनिरीक्षक, कॉन्स्टेबल सहित नर्सिंग व एग्रीकल्चर की तैयारी करवाई जाएगी।

तीसरा बैच शुरू

जोधपुर , (कासं) । राज्य स्तरीय आयुर्वेद नर्स/कंपाउंडर आमुखीकरण प्रशिक्षण के तीसरे बैच का शुभारंभ अतिरिक्त निदेशक आयुर्वेद विभाग डॉ. राजीव लोचन शर्मा, उप निदेशक डॉ. अशोक कुमार मित्तल और सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी दिनेश कुमार राजपुरोहित ने भगवान धन्वंतरि के पूजन के साथ किया। डॉ. मित्तल ने बताया कि तीसरे बैच में बीकानेर संभाग, धौलपुर, झालावाड़, करौली, बूंदी और डूंगरपुर सहित जिलों के 99 नवनियुक्त नर्सेज भाग ले रहे हैं।

सहकार भारती का 47 वां स्थापना समारोह आयोजित

जालोर, (का.सं.)। सहकार भारती का 47 वां स्थापना समारोह पाली जिला दुग्ध उत्पादक संघ के अध्यक्ष प्रताप सिंह बिठिया की अध्यक्षता एवं जिला प्रमुख राजेश राणा तथा जालोर नागरिक बैंक के अध्यक्ष मोहन पाराशर के निर्देशन में जिला परिषद् के सभाकक्ष में मंगलवार को सायंकाल समारोह पूर्वक संपन्न हुआ।

■ आर्थिक उन्नति का सर्वोत्तम माध्यम तथा सबको साथ लेकर चलने का स्वभाव ही सहकारिता है

सहकार भारती का 47 वां स्थापना समारोह जिला परिषद् में समारोह पूर्वक संपन्न हुआ। फोटो-राष्ट्रदूत

सहकार भारती के प्रदेश उपाध्यक्ष महेंद्र दवे ने मुख्य वक्ता के नाते कहा की आर्थिक उन्नति का सर्वोत्तम माध्यम तथा सबको साथ लेकर चलने का स्वभाव ही सहकारिता है। उन्होंने कहा कि आर्थिक सुचिता की दृष्टि से सहकारिता की भावना प्रभावित हो रही है इसलिए सामाजिक दायित्वबोध को बढावा दिया जाना आवश्यक है।

समारोह में प्रताप सिंह बिठिया ने कहां की राज्य में जब तक ग्रामीण सहकारी समितियों को सरकारी तंत्र से मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक वह आगे नहीं बढ सकेगी। उन्होंने कहा कि पाली जिले में दुग्ध उत्पादक संघ की कार्य पद्धति गुजरात के अमूल संघ की तरह ही संचालित हो रही है तथा प्रतिदिन लगभग एक लाख लीटर दूध का संग्रहण किया जा रहा है।

इस अवसर पर जालोर नागरिक बैंक के अध्यक्ष मोहन पाराशर ने कहा कि वर्तमान में सहकारिता की भावना भारत ही नहीं अपितु विश्व में बढ रही है । उन्होंने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के महत्व पर प्रकाश डालते हुए इन्हें भ्रष्टाचार से मुक्त किए जाने पर बल दिया । उन्होंने कहा कि जालौर नागरिक बैंक के कारण जिले के प्रमुख ग्रेनाइट उद्योग सहित अन्य उद्योगों को भी बढावा मिल रहा है।

समारोह में जालौर सहकारी समिति के सब रजिस्टार नारायण सिंह ने सहकारिता क्षेत्र में वर्तमान में आ रही समस्याओं पर विस्तार से प्रकाश डाला वहीं कार्यक्रम में कृषक नेता एवं पूर्व जिला परिषद सदस्य मंगल सिंह सिराणा ने जालोर भूमि विकास बैंक के वर्तमान स्थिति तथा सहकारिता एक्ट में संशोधन किए जाने की आवश्यकता बताई।

इस अवसर पर सहकार भारती के जिला अध्यक्ष कांतिलाल भंडारी एवं नागरिक बैंक के परमानंद भट्ट ने भी अपने विचार व्यक्त किए ।

समारोह में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं वर्तमान संरक्षक मोहनलाल परमार, मदनराज बोहरा, ललित कुमार दवे, फाउलाल सोनगरा, कानाराम परमार, शिवलाल गहलोत, हंसमुख गुप्ता, श्रीमती प्रियंका पाठक एवं उर्मिला दर्जी, भगवती प्रसाद, धनराज दवे जोग सिंह बालोत, बील सुथार, मदन सिंह राठौड, एवं सुल्तान सिंह सहित बडी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

इस अवसर पर छगन लाल ने संगठन मंत्र वं एकल गीत तथा शांतिलाल सोनी ने अवतरण पढ़ा।

समारोह में नवनिर्वाचित सहकार भारती की जिला कार्यकारिणी को सामूहिक शपथ ग्रहण भी करवाई गई। जबकि समारोह के अंत में ललित कुमार दवे ने आभार ज्ञापित किया।

अनिश्चितकाल तक किसी को हिरासत में नहीं रखा जा सकता : हाईकोर्ट

जोधपुर, (कासं)। राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश फरजंद अली ने एक जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि अनिश्चितकाल तक किसी भी व्यक्ति को हिरासत में नहीं रखा जा सकता। जब तक कोर्ट द्वारा किसी आरोपी को दोषी करार नहीं दिया जाता है तब तक वह निर्दोष ही माना जाएगा।

हत्या के आरोपों में विचाराधीन अभियुक्त गजेंद्र सिंह ने अपनी अधिवक्ता दीपिका सोनी के जरिए हाईकोर्ट में जमानत याचिका प्रस्तुत की, जिस पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश फरजंद अली ने आदेश पारित करते हुए स्पष्ट लिखा कि अनिश्चितकाल तक किसी व्यक्ति को हिरासत में नहीं रखा जा सकता। अदालत ने यह भी कहा कि मुकदमे की धीमी गति से प्रगति को देखते हुए इसमें अभी भी समय लगेगा। गजेंद्र सिंह पर हत्या का मामला दर्ज किया गया था। साल 2018 में ट्रायल शुरू किया गया लेकिन अभियोजन पक्ष के गवाह पूरे नहीं हो सके। अभियोजन पक्ष के कुल 48 गवाहों में से केवल 16 की अब तक जांच हो सकी है। अदालत ने कहा कि परीक्षण द्वारा ईमानदारी से प्रयास नहीं किए गए हैं। न्यायालय द्वारा जब तक अभियुक्त को दोषी साबित न हो तब तक निर्दोष माना जाएगा। अदालत के इस फैसले से गजेंद्र सिंह को राहत मिली। गजेंद्र की अधिवक्ता दीपिका सोनी ने पैरवी कर अदालत को बताया कि उसके खिलाफ कथित अपराधों के लिए कोई मामला नहीं बनता है और उसे कारावास की सजा नहीं दी जानी चाहिए। अभियोजन पक्ष के मामले में कई और खामियां हैं। कोई भी ऐसा कारक नहीं है जो आरोपी याचिकाकर्ता को जमानत दिए जाने के खिलाफ काम कर सके।

वन विभाग को नोटिस, विभागीय दंडादेश पर उच्च न्यायालय की रोक

जोधपुर, (कासं)। राजस्थान उच्च न्यायालय की एकल पीठ के न्यायाधीश दिनेश मेहता ने सहायक वनपाल, बाड़मेर के पद पर कार्यरत मांगे खान के विरूद्ध नेसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विरूद्ध पारित 6 दिसम्बर 2024 के दण्डादेश को प्रथमदृष्टया अनुचित मानते हुए उस पर रोक लगा दी है।

मांगे खान वर्तमान में सहायक वनपाल के पद पर वन विभाग बाड़मेर में कार्यरत है। 18 जनवरी 2018 को अनुशासनिक अधिकारी एवं उप वन संरक्षक बाड़मेर द्वारा उसे राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रक एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के तहत फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत कर पदोन्नित प्राप्त करने एवं वितीय लाभ प्राप्त करने के संदर्भ में एक आरोप पत्र जारी किया गया।

प्रार्थी द्वारा उसका जबाब प्रस्तुत करने के पश्चात् 6 दिसम्बर 2024 को उसे अनुशासनिक अधिकारी द्वारा फर्जी दस्तावेज के आधार पर पदोन्नित से पदावनत करने, पदोन्नित के कारण लिये गये वितीय लाभ की पुन: वसूली करने व प्रार्थी के विरूद्ध इसी संदर्भ में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट भी भारतीय न्याय संहिता 2023 की धाराओं में दर्ज करवाने का आदेश पारित किया। अनुशासनिक अधिकारी एवं उप वन सरंक्षक बाड़मेर के द्वारा जारी इस दण्डात्मक आदेश 6 दिसम्बर 2024 को प्रार्थी द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष अपने अधिवक्ता प्रमेन्द्र बोहरा के माध्यम से चुनौती दी। प्रार्थी के अधिवक्ता का उच्च न्यायालय के समक्ष तर्क था कि दण्डादेश जारी करने से पूर्व उसे जांच रिपोर्ट की कॉपी प्रदान नहीं की गयी व दण्डादेश जारी करने से पूर्व उसे व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु कोई नोटिस नहीं दिया गया।

विभाग द्वारा दण्डादेश जारी करते समय राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 में विद्यमान प्रावधानों का घोर उल्लंघन किया गया। साथ ही जो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने का आदेश दिया गया है वह तो नियम 14 के तहत दिये गये दण्ड के प्रावधानों से बाहर जाकर पारित किया गया है, जो अनुचित व विधि विरूद्ध है। प्रार्थी के अधिवक्ता के तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध यानि दण्डादेश जारी करने से पूर्व प्रार्थी को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर नहीं देने एवं जांच रिपोर्ट की कॉपी प्रार्थी को नहीं दिये जाने को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के विरूद्ध प्रथमदृष्टया अनुचित मानते हुए वन विभाग को नोटिस जारी कर जबाब तलब किया व प्रार्थी के विरूद्ध पारित दण्डादेश दिनांक पर अन्तरिम रोक लगा दी।